अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3 |
|---|---|---|
| 22.12.2014 | **न्यायालय, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा**<br>आँगनबाड़ी अपीलवाद संख्या– 93–31/2011<br>अपीलार्थी – सुमीला कुमारी<br>बनाम<br>रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार व अन्य<br>–: **आदेश** :–<br>प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय सहरसा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।<br>इस अपीलवाद में आरोप यह है कि सौर बाजार (सहरसा) परियोजना के कॉप पूर्वी पंचायत के गोबरगढ़ा दक्षिण, केन्द्र संख्या– 73 का निरीक्षण दिनांक 05.08.2011 को महिला पर्यवेक्षिका पुष्पलता द्वारा किया गया जिसमें केन्द्र की सहायिका पर केन्द्र से बराबर अनुपस्थित रहने का आरोप है।<br>आँगनबाड़ी केन्द्र से बराबर अनुपस्थित रहने के आरोप में सहायिका सुमिला कुमारी से कार्यालय ज्ञापांक 73–2 दिनांक 09.08.2011 द्वारा स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र निर्गत किया गया जिसमें उन्हें 18.08.2011 को अपना स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देश भी दिया गया। निर्धारित तिथि 18.08.2011 को सहायिका ने अपना स्पष्टीकरण भी उपस्थित होकर समर्पित किया। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि दिनांक 05.08.2011 को पोषाहार बनाने के क्रम में अचानक पेट में दर्द होने के कारण स्थानीय कॉप बाजार में दवा दुकानदार से पूछकर पेट दर्द की दवा लेने आ गई, तथा तत्क्षण | |

पेट में दर्द होने की सूचना भी केन्द्र में उपस्थित सेविका को दी। किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती सुमिला कुमारी सहायिका के जबाव से असहमति व्यक्त करते हुए उन्हें विभागीय ज्ञापांक 879–1 प्रो0 दिनांक 20.08.2011 द्वारा चयन मुक्त कर दिया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई में अपीलार्थी के अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता दोनों ने अपना–अपना पक्ष, कागजात, इस न्यायालय के समक्ष पेश किये। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि यह सही बात है कि प्रश्नगत केन्द्र का निरीक्षण दिनांक 05.08.2011 को महिला पर्यवेक्षिका ने समय 12 बजे दिन में किया सेविका उपस्थित थी, सहायिका अनुपस्थित थी, निरीक्षण के समय उपस्थित बच्चों की संख्या 25 थी। सहायिका केन्द्र को साफ–सुथरा कर उपस्थित लाभुक बच्चों के लिए पोषाहार (पुलाव) बनाई थी, अचानक उनके पेट में काफी दर्द होने लगा वह वहाँ पर उपस्थित सेविका दीदी को बताकर पेट दर्द की दवा लेने कॉप बाजार दवाई दुकानदार के पास चली गई इसी बीच महिला पर्यवेक्षिका केन्द्र पर पहुँची व पर्यवेक्षिका के पूछने पर सेविका ने बताया कि वे पोषाहार बनाकर गई है, अपनी पेट दर्द का दवा लेने दवाखाने गई हैं, उन्होंने इसकी संपुष्टि हेतु सेविका श्रीमती किरण कुमारी का पत्र भी अवलोकन कराया किन्तु सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि आँगनबाड़ी निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित है कि "सहायिका केन्द्र से बराबर अनुपस्थित रहती है, कार्रवाई की जाय।" इसका मतलब है कि सहायिका को अनुपस्थित रहने की बराबर की आदत है, अतः निम्न न्यायालय का निर्णय सही प्रतीत होता है। सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि अगर उस तिथि को अचानक पेट में काफी दर्द हुआ और वे केन्द्र पर से चली गई, तो किसी डॉक्टर से पूछ कर दवा ली या दुकानदार को बताकर पेट दर्द की दवा खाई, तो दवा का पुर्जा तो होना चाहिए। किन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि गाँव/टोले/कस्बे में दवाई वाले दुकानदार कोई पुर्जा नहीं देते हैं, पैसा लेकर उचित दवाई दे देते है, क्योंकि ज्यादातर दवाई वाले दुकानदार क्वेक डॉक्टर ही रहते हैं । चूँकि सहायिका तो गाँव के कॉप बाजार में ही दवा लेने गई थी, फिर उचित पुर्जा तो दवाई वाले देते नहीं, सत्यता/वास्तविकता भी यही है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी सहायिका काफी गरीब महिला है और इसी पैसे से अपना एवं परिवार का भरण–पोषण किसी प्रकार करती है, ठीक है कि निरीक्षण तिथि को पेट में दर्द होने के कारण पोषाहार बनाकर अनुपस्थित हो गई, किन्तु महिला पर्यवेक्षिका का यह कहना कि आदतन अनुपस्थित रहती

है, सत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह दिखाया कि अगस्त– 11 में प्रत्येक दिन सेविका के साथ सहायिका की भी उपस्थिति दर्ज है। अतः प्रमाणित करता है कि महिला पर्यवेक्षिका का रिर्पोट पूर्णतः सत्य नहीं है कि सहायिका बराबर अनुपस्थित रहती है, अगर बराबर अनुपस्थित रहती तो बच्चों की संख्या 25 निरीक्षण की तिथि को नहीं होती, क्योंकि बच्चों को घर से लाना सहायिका की एक बड़ी जिम्मेदारी है।

अतः न्यायालय सरकारी अधिवक्ता/अपीलार्थी के अधिवक्ता के पक्ष, विपक्ष, कागजात, साक्ष्य के तौर पर इस निष्कर्ष पर पहुँची कि यह सही है, कि निरीक्षण के तिथि 05.08.2011 को समय 12 बजे दिन में सहायिका अनुपस्थित पाई, किन्तु उस तिथि को भी सहायिका आई थी, पोषाहार बनाने के क्रम में पेट दर्द होने पर स्थानीय बाजार दवाई लेने चली गई, जिसकी सूचना सेविका को भी दी गई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि असामान्य परिस्थिति/असहज स्थिति किसी के साथ हो सकती है, असामान्य स्थिति में कोई भी सर्वप्रथम उसका निदान कराना चाहेगा यानी उचित परामर्श से उचित दवाई लेना पसंद करेगा तथा उसके बाद ही सही रूप से कार्य करेगा। महिला पर्यवेक्षिका की बात अगर सही है कि सहायिका प्रत्येक दिन केन्द्र पर पहुँचने के बाद आदतन कुछ समय के लिए बहाना बनाकर गायब हो जाती हैं तो उसे कार्यरत महीने अगस्त 11 का मानदेय जो महीने भर का होता है, काट कर दिया जाना चाहिए एवं काटी गई राशि कोषागार में जमा की जानी चाहिए क्योंकि सहायिका को एहसास होना चाहिए कि अनुपस्थित आदतन में सुधार लाने की जरूरत है, ऐसे भी सरकारी प्रावधान है कि "काम नहीं तो वेतन नहीं" न कि इतने कड़े दण्ड कि चयनमुक्ति का यह सर्वथा उचित नहीं प्रतीत होता है। अतः न्यायालय सहायिका को कार्यरत महीने अगस्त 11 का मानदेय पूरे माह का जो बनता है, कोषागार में जमा करने का निर्देश देती है, तथा पत्र निर्गत तिथि से सहायिका के पद पर कार्य करने का मौका प्रदान करती है। साथ ही भविष्य के लिए चेतावनी भी दी जाती है कि वे प्रत्येक दिन मुस्तैदी के साथ सेविका के साथ मिलकर सहयोग कर लाभुक बच्चों के लिए कार्य करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करनी है। अन्यथा प्रशासन कड़े कदम उठाने में बाध्य हो जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

22.12.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

22.12.2014

उप निदेशक, कल्याण.
कोशी प्रमंडल, सहरसा